कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/निस्तार/80/2452 भोपाल, दिनांक 19–6–2001

प्रति,

समस्त वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
समस्त वनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय)
मध्यप्रदेश

विषय :— निस्तार व्यवस्था।

—0—

शासन निर्देशानुसार वन सीमा से 5 कि.मी. क्षेत्र में बसे ग्रामों के परिवारों को निस्तार की पात्रता है।

शासन द्वारा संयुक्त वन प्रबंध के अन्तर्गत पारित संकल्प 2000 के अनुसार वन समितियों के परिवारों को प्रतिवर्ष उपलब्धतानुसार रायल्टी मुक्त निस्तार की पात्रता है।

कुछ क्षेत्रीय अधिकारियों ने यह जानना चाहा है कि **"उपलब्धतानुसार"** की परिभाषा तथा विस्तार क्षेत्र क्या है।

इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि उपलब्धता का अर्थ निस्तार में दिये जाने वाली सामग्री—बांस, बल्ली व जलाऊ के उस क्षेत्र में कार्य आयोजना के अनुसार कार्य करने से प्राप्त होने वालें वन उत्पाद से है तथा इसका विस्तार क्षेत्र—क्षेत्रीय वन मंडल है।

सरल भाषा में, एक क्षेत्रीय वन मंडल के क्षेत्र में विदोहन से प्राप्त होने वाले बांस, बल्ली व जलाऊ समिति परिवारों को रायल्टी मुक्त निस्तार के रूप में प्रदाय किया जा सकता है। इसमें कटाई, परिवहन व अन्य व्यय देय होगा। यदि वनोपज उस वन मंडल में उपलब्ध नहीं है तो उस पर निस्तार नियमों के अनुसार **'रायल्टी'** देय होगी। उदाहरणार्थ यदि बांस वन मंडल में नहीं होता है तो बालाघाट से मगाकर दिये जाने वाले बांस पर रायल्टी, कटाई व परिवहन आदि व्यय जोड़कर प्रदाय दर निर्धारित की जायेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार निस्तार पुस्तिका में व्यवस्था सुनिश्चित करें।

हस्ता.
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
म0प्र0 भोपाल